

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 592079

39. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
40. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा।
41. ट्रस्ट भारत वर्ष के बाहर कार्य नहीं करेगा।
42. सरकारी विभाग व गैर सरकारी विभाग में टेक्नीकल एवं सामान्य वर्कर उपलब्ध कराना।

नियमावली

1- प्रारम्भिक उपबन्ध-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह जो कि न्यास कर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने जीवन काल तक सह ट्रस्टी अथवा अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।
3. प्रधान ट्रस्टी के मृत्योपरान्त प्रधान ट्रस्टी/न्यासकर्ता का बड़ा लड़का प्रधान ट्रस्टी होगा। इसी में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधान ट्रस्टी का क्रम चलता रहेगा।
4. प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी संयुक्त रूप से ट्रस्ट सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग लोक हित में करेंगे।
5. सह ट्रस्टी ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास के लिए ऋण, दान, उपहार आदि प्राप्त करने में यथा सम्भव कार्य करने तथा ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।

Gajendra Pratap Singh

(सह ट्रस्टी)

ओम साँई विन्ध्य विकास ट्रस्ट
Gajendra Pratap Singh
अध्यक्ष / ट्रस्टी